न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान)

वाद संख्या :– 02 / 37 / 2011

सन्तोष कुमार बनाम मोहनलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 20.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट कलेशान पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 01.03.2011 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 24 / 0.30, 25 / 0.32, 26 / 0.80, 28 / 0.58, 29 / 0.01, 30 / 0.30, / 31 / 0.32, 32 / 0.84, 33 / 0.45, 51 / 1.18, 52 / 0.02, 53 / 0.58, 56 / 0.13, 61 / 0.34 है. वाके ग्राम गोठ तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 13.04.2011 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से बाद उपस्थिति जवाब पेश नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी. आई. आदेश वर्ष 2011 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 7 वर्ष का समय हो गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे कि प्रथम दृष्टया आराजी विवादित का प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है। अतः प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 24 / 0.30, 25 / 0.32, 26 / 0.80, 28 / 0.58, 29 / 0.01, 30 / 0.30, / 31 / 0.32, 32 / 0.84, 33 / 0.45, 51 / 1.18, 52 / 0.02, 53 / 0.58, 56 / 0.13, 61 / 0.34 है. वाके ग्राम गोठ तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व दिनांक 01.03.2011 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06. 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट कलेशान)